



## डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, (गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना)



योजना – संविधान की धारा-275 (1) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में Creation of Capital Assets & General अन्तर्गत Dairy Farm Development की योजना।

### 02 दुधारू मवेशी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 100% अनुदान की योजना।

ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के कृषकों, बेरोजगारों युवक-युवतियों के लिए 02 दुधारू मवेशियों/हिफर का डेयरी इकाई स्थापित करने हेतु आवेदन देने का सुनहरा अवसर।

योजना का अवयव		
इकाई	लागत मूल्य (रु० में)	विभागीय अनुदान की राशि (रु० में)
02 दुधारू मवेशी/हिफर	1,74,000/-	1,74,000/-

➤ योजना हेतु ऑफलाइन आवेदन दिनांक 26.02.2026 से 07.03.2026 तक जिला गव्य विकास कार्यालय, गोपालगंज में प्राप्त किये जाएंगे।

#### वांछित दस्तावेज

- आधार कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र (अनु० जनजाति के लिए)।
- बैंक का अद्यतन पासबुक।
- रंगीन फोटो (पासपोर्ट साइज)।
- शपथ पत्र।
- प्रशिक्षण प्रमाण पत्र/दुग्ध उत्पादक समिति/जीविका सदस्यता प्रमाण पत्र।

#### अहर्ता

- लाभुक की उम्र- 18 से 55 वर्ष
- गोपालगंज जिला के ग्रामीण क्षेत्र के ही अनुसूचित जनजाति वर्गों के कृषकों/शिक्षित बेरोजगार युवक/युवती।

#### चयन प्रक्रिया

- आवेदन की प्रक्रिया- ऑफलाइन
- चयन प्रक्रिया में क्रमानुसार प्राथमिकता-
  - (i) विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक
  - (ii) दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्य
  - (iii) जीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़े व्यक्ति।

नोट- अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा

नोट- आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिये जिला गव्य विकास कार्यालय, गोपालगंज में सम्पर्क कर सकते हैं।

सौजन्य- जिला गव्य विकास कार्यालय, गोपालगंज।